

18/02/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अनुपस्थित। श्रीमान
पितासीन अधिकारी महोदय, ... अंतर्गत में है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/2/25 को पेश हो।

01/04/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित।
वकील वादी भी अनुपस्थित। प्रतिवादीगण
अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी भी अनुपस्थित।
तीन बार आवाज लगायी गई, लेकिन
कोई भी पक्षकारान उपस्थित नहीं हुआ।
कुछ समय इंतजार किया, फिर भी कोई
भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादी एवं
प्रतिवादीगण दोनों की अनुपस्थित रहने
से प्रकरण को गुणावगुण पर टिप्पणी
किये बिना अन्तर्गत आदेश 9 नियम
3 CPC अदम दायरी अदम पेशी में
ब्यारेज किया जाता है। पत्रावली केसक
सुमार होकर ब्याद तामील तक्मील
दाखिल दफ्तर हो।



[Signature]
01/4/25
उपखण्ड अधिकारी
पिहवा, जिला आलाबाद (सब.)

